न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 08 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 198

01. गुरदतसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह जाति बावरी साकिन 8 बी.जी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज। —:प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाशसिंह पुत्र जसासिंह जाति मजबी साकिन 20 जी.बी. तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति नायक साकिन 13 बी.जी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. शान्तिदेवी पत्नी नन्दराम जाति नायक साकिन 13 बी.जी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर .।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—11.04.2022

उपस्थितः 1.श्री प्यारेलाल कच्छावा प्रार्थी अधि.।
2. श्री भूपसिंह मेघवाल अप्रार्थी सं. 2 व 3 अधि.।
3. श्री सुखदेवसिंह बुट्टर अप्रार्थी सं. 1 अधि.।

दिनांक 18.12.2024

—–निर्णय—–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी चक 13 बी.जी.डी. का पं.नं. 172 / 392 मु.नं. 7 के कि.नं. 19 व 21 ता 25 सालम—सालम कुल 1.518 है.यानि 6 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी है। उपरोक्त मुरब्बा नं. 7 मे कुल 6 खातेदारों के नाम से छोटी—छोटी भूमि में जोत का विभाजन करने के उपरान्त रास्ते व पानी के खाले का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके कारण आपस में विवाद व झगड़ा हो रहा है। उपरोक्त मु.नं. 7 के पश्चिम की तरफ सरकारी सिंचाई विभाग का पक्का खाला बना हुआ है व उतर की तरफ रास्ता आम है उपरोक्त मुरब्बा के कि.नं. 19 में प्रार्थी की रिहायशी ढ़ाणी है व इसी मुरब्बा के कि.नं. 19 व 21 ता 25 कुल 6 बीघा प्रार्थी की कृषि भूमि है। जिसमें आने—जाने का रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि उक्त मुरब्बा के दक्षिण की तरफ है व उक्त मुरब्बा के चिपते उतर की ओर कि.नं. 1 ता 5 पर सरकारी रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि का उपयोग करना पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि जोत करने के लिए अप्रार्थीगण की मिन्नत व अनुरोध से प्रारम्भ से ही रास्ता के लिए जी हजूरी करता आया है। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा कई बार प्रार्थी के साधन को रोक दिया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि मिलजुलकर एक रास्ता खुलवा देते है परन्तु अप्रार्थीगण इस पर सहमत नहीं हुए व प्रार्थी को रास्ता देने से इन्कार हो गये। दिनांक 01.04.2022 को प्रार्थी अपनी कृषि भूमि से अपनी जिन्स फसल ले जाने के लिए ट्रैक्टर ले जाने से [illegible] तक प्रार्थी की फसल खराब होती रही तब प्रार्थी ने दिहाड़ी [illegible] अपनी फसल उठाई अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को स्पष्ट [illegible] भूमि से आने जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे। [illegible] जी अदालत में आना

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:58:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

...डा। उपरोक्त मुरब्बा नं. 7 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाशसिंह को कि.नं. ... व 2 से रास्ता मिलता है व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सभी एक ही परिवार के सदस्य है जिनकों कि.नं. 1–3–4 व 5 से रास्ता मिलता है। एक मात्र प्रार्थी ही उक्त मुरब्बा में एक ऐसा काश्तकार है जिसे कहीं से भी रास्ता उपलब्ध नहीं होता प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी एक सदभाविक काश्तकार है। प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो प्रार्थी को अपनी भूमि का कृषि कार्य नहीं कर सकेगा व भूमि अनकमाण्ड हो जायेगी। यह कि प्रार्थी को उत्तर दिशा में स्वीकृत से किला नं. 2 से 9 व 12 में 10 फुट की सड़क स्वीकृत की जाती है तो प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर सकेगा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की है। प्रार्थी को सदभाविक रास्ते की आवश्यकता है। जिसके लिए कि.नं. 2–9–12 की पूर्व की तरफ या कि.नं. 3–8–13 की पश्चिम की तरफ 10 फुट का रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी अप्रार्थी को भूमि की एवज में भूमि या डी.एल.सी. रेट से पैसे अदा करने के लिए तैयार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वाके चक 13 बी.जी.डी. का पं.नं. 172/392 मु.नं. 7 के उत्तर की तरफ सरकारी रास्ता से कि.नं. 2–9–12 से 10 फुट का रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे या कि.नं. 3–8–13 में 10 फुट का रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे उक्त रास्ते के बदले प्रार्थी डी.एल.सी. रेट से राशि एवं भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री सुखदेवसिंह बुटट्र वकालतनामा पेश किया जिसमें अंकित किया है कि अप्रार्थी के दर्ज रकबा के कि.नं. 2–9–12 के उत्तर दिशा में 10 फुट का रास्ता व जिसके साथ ही अन्य अप्रार्थीगण के बराबर के कि.नं. 3–8–13 में भी 10फुट रास्ता पश्चिम की तरफ मांग की जाकर स्पष्टतः हम अप्राथीगण को अनवाश्यक व गलत तरीके से हेरान परेशान करने के आशय से झूठा प्रकरण प्रार्थी द्वारा दर्ज करवाया जाना साबित है, जबकि प्रार्थी को यह कोई चाहा गया रास्ता किसी प्रकार भी सुगम, सरल या सुविधाजनक नहीं होकर बहुत अधिक लम्बाई में रास्ता पड़ता है बल्कि प्रार्थी को उसके रकबा मु.नं. 19 व कि.नं. 21 ता 25 में दर्ज रिकार्ड मुताबिक दूसरी तरफ चिपता साथ ही का रकबा से रास्ता अत्यन्त सरल, सुगम एवं सुविधाजनक पड़ता है जिससे ही होकर प्रार्थी हमेशा आवागमन करता आ रहा है जिस कारण प्रार्थी को कभी कोई रास्ता हम अप्रार्थी द्वारा नही देने अथवा रोक देने या धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योकि मुझ अप्रार्थी के रकबा से प्रार्थी द्वारा कभी अपने रकबा को कोई आना–जाना नहीं किया जाता रहा है इसके अलावा मुझ अप्रार्थी के रकबा में से होकर मु.नं. 7 के कि.नं. 1–2–10–11–20 में दो तरफ से सिंचाई हेतु अन्य काश्तकारान को खाला की आड दी जाकर काफी भूमि उसमें चली गई है यदि इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी जो केवल मात्र 7 बीघा भूमि छोटे टुकड़े में हो जाने से काश्त आदि में परेशानी होकर भारी आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या ... से श्री भूपसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश ... जवाब ... में अंकित किया है कि प्रथमतः प्रार्थी मु.नं. 7 की भूमि ... प्राप्त ... विधिक अधिकरी नहीं है क्योकि खाता विभाजन के वक्त ... काश्तकारों के मध्य खाला,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:58:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

रास्ता, काश्त एवं सिंचाई के मध्य नजर ही खाता विभाजन होकर अलग–अलग किलाजात की भूमि बंटवारा में प्राप्त की गयी थी इसलिए अब प्रार्थी अपने रकबा बाबत रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है फिर भी अगर माननीय न्यायालय किसी प्रकार से वादी को रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी पाता है तो उस स्थिति में छोटा व सुगम रास्ता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिवादीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं हैं बल्कि वादी कि.नं. 2–9–12 में ही रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषनीय नहीं है तथा इस धारा के तहत प्रार्थी चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं हैं बल्कि प्रार्थी कि.नं. 2–9–12 में ही रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हैं, अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/842 दिनांक 20.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट व जमाबंदी चक 13 बीजीडी के खाता संख्या 10 के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 19–21 ता 25 में 1.518 है. कमाण्ड एवं प.नं. 175/392 के मु.नं. 10 के कि.नं. 6/1, 14/1, 15/1, 15, 17/1, 18/1, 22/1, 23, 24, 25 में 1.720 है. अ.क. कुल 3.238 है. कमाण्ड/ अ.क. रकबा प्रार्थी गुरदतसिंह वल्द अर्जनसिंह जाति बावरी साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है नजरिया नक्शा संलग्न है। चक 13 बीजीडी के खाता संख्या 28 के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 1–2–9 ता 12 व 20 का कुल रक्बा 1.771 है. कमाण्ड अप्रार्थी प्रकाशसिंह वल्द जसासिंह जाति मजबी साकिन 20 जीबी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं यह रकबा बैंक एस.बी. आई. शाखा बाजूवाला के पक्ष में रहन है प्रार्थी गुरदत्तसिंह वल्द अर्जनसिंह जाति बावरी अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी प्रकाशसिंह वल्द जसासिंह जाति मजबी की कृषि भूमि चक 13 बीजीडी के प.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 2–9–12 या अप्रार्थी रामेश्वर वल्द नन्दराम व शान्तिदेवी पत्नी नंदराम जाति नायक जो कि एक ही परिवार के सदस्य है की भूमि चक 13 बीजीडी के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 3–8–13 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है अप्रार्थी प्रकाशसिंह वल्द जसासिंह जाति मजबी साकिन 20 जीबी ने बतलाया कि उसने अपनी कृषि भूमि चक 13 बीजीडी के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 1–10–11–20 में प्रार्थी गुरदत्तसिंह वल्द अर्जनसिंह व कि.नं. 1–2 में अप्रार्थी रामेश्वर वल्द नन्दराम व शान्तिदेवी पत्नी नन्दराम को सिंचाई हेतु उक्त किलों में खाले हेतू एक–एक बिस्वा भूमि सहमति स्वरूप पूर्व में ही प्रदान की हुई है जिससें उसकी काश्त योग्य कृषि भूमि पहले से ही कम है अप्रार्थी प्रकाशसिंह वल्द जसासिंह जाति मजबी के द्वारा प्रार्थी गुरदतसिंह व अप्रार्थी रामेश्वर, अप्रार्थीया शान्तिदेवी को अपनी कृषि भूमि में से सिंचाई खाले हेतु एक–एक बिस्वा भूमि सहमति स्वरूप पूर्व में ही दिए जाने के कारण प्रार्थी गुरदतसिंह वल्द अर्जनसिंह जाति बावरी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु इनके द्वितीय विकल्प अनुसार चक 13 बीजीडी के पं.नं. 172/391 [illegible] के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ते के कि.नं. 23 के साथ चिपते [illegible] 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 3/0.012, 8/0.013, 13/0.012 है प्रत्येक में [illegible] दिशा की ओर व कि.नं. 18 में पश्चिमी दिशा की [illegible] है रास्ता [illegible] किया जाना उचित है प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि [illegible] प्रस्तावित रास्ता भी निकटतम है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:58:11 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि जाने हेतु रास्ता नहीं है वैकल्पिक रास्ता भी अपनी जोत में जाने हेतु नहीं है अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। रकबे का विभाजन समस्त काश्तकारों की सुविधाओं को देखते हुए किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। प्रार्थी रामेश्वर लाल पुत्र नन्दराम जाति नायक साकिन 13 बीजीडी तह. रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2024 के अनुसार चक 13 बीजीडी के मु.नं. 7 पं.नं. 172/392 का स्वय मौका निरीक्षण के बिन्दू अन्तर्गत व भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है प्रार्थी को चक 13 बी. जी.डी. के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 2–9–12 प्रत्येक में 10 फुट रास्ता पूर्वी दिशा में स्वीकृति दिया जाना उचित है यह कथन तहसीदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है अन्य विकल्पक से स्वीकृति देने से प्रार्थी को नुकसान होगा। उक्त तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 13 बी.जी.डी. के पं.नं. 172/392 के मु.नं. 7 के कि.नं. 2–9–12 प्रत्येक में 10 फुट गै.मु.रा स्वीकृत किया जाता है रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को कि.नं. 19 में से कि.नं. 20 के चिपती भूमि देगा। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:58:11 IST
Reason: SelfAttested